नाबार्ड

बाह्य परिपत्र. 84 /डॉस - 18 /2020 30 मार्च 2020

सं सं. राबैं. डॉस. पॉलिसी. प्रका/ 3838 /जे-1/2019-20

प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

प्रिय महोदय / महोदया

सीईआरएसएआई में अचल (साम्यिक बंधक को छोड़कर), चल और अमूर्त आस्तियों से संबन्धित प्रतिभूति इंटरेस्ट फाइल करने के संबंध में

हम आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर सभी बैंकों/ वित्तीय संस्थानों (सहकारी बैंकों सहित) को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 27 दिसंनबर 2018 के परिपत्र डीबीआर.लेग.नं. बीसी 15/09.08.020 /2018-19 (आरबीआई /2018-19/96) की ओर आकृष्ट करते हैं। इसमें बैंकों/ वित्तीय संस्थानों को वर्तमान लेनदेन संबंधी प्रभारों को फाइल करने का कार्य 31 मार्च 2019 तक पूरा करने के लिए सूचित किया गया था। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे सभी चालू लेनदेन से संबन्धित प्रभार सीईआरएसएआई में निरंतर आधार पर फाइल करते करें।

2. यह पाया गया है कि अधिकांश रास बैंकों और जिमस बैंकों ने अभी तक सीईआरएसएआई में अपना पंजीकरण नहीं कराया है और जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है, उन्होंने सीईआरएसएआई प्लेटफॉर्म पर प्रभारों को फाइल करने का काम पूरा नहीं किया है।

3. भारत सरकार ने दिनांक 26 दिसंबर 2019 की अधिसूचना सं 4133 के द्वारा इंफोर्समेंट ऑफ सेक्यूरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 2016 की धारा 17 और 19 को अधिसूचित कर दिया है और यह 24 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया है। इस संशोधित अधिनियम की 17 से 19 तक की धाराएँ सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 23, 26 और 27 की तदनुरूपी हैं। संशोधन के प्रभावी होने से प्रतिभूत ऋणदाताओं को सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत से प्रतिभूतियों को इंफोर्स करने का अधिकार नहीं होगा, बशर्ते सेक्यूरिटी इंटरेस्ट सीईआरएसएआई में पंजीकृत हो।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पर्यवेक्षण विभाग
प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2653 0017 • फैक्स : +91 22 2653 0103 • ई-मेल : dos@nabard.org
Department of Supervision
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2653 0017 • Fax : +91 22 2653 0103 • E-mail : dos@nabard.org

Scanned with CamScanner

नाबार्ड

4. अतः आपसे अनुरोध है कि सीईआरएसएआई में तत्काल पंजीकरण करवाएं और प्रभारों का सीईआरएसएआई प्लेटफॉर्म पर फाइल कराने का कार्य शीघ्र पूरा करा लें। यह भी नोट किया जाए कि सभी चालू लेनदेन से संबन्धित प्रभारों को सीईआरएसएआई में निरंतर आधार पर फाइल किया जाना है। इससे संबंधित अनुपालन अनुबंध I में हमारे संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को 30 अप्रैल 2020 तक भिजवा दिया जाए।

5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना आपके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मे स्तिथ हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

के.एस. रघुपति

(के.एस.रघुपति)
मुख्य महा प्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

Scanned with CamScanner